

प्रेस नोट दिनांक 15.02.2021

1. दिनांक 14.02.2021 को वादी उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजेश उर्फ सुनील पुत्र नन्द सिंह नि0 गदहन का पुरवा मजरे बर्सा थाना को0रुदौली अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना मवई में मु0अ0सं0 36/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 14.02.2021 को वादी उ0नि0 श्री हरिवंश यादव थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मंगली रावत पुत्र सियाराम रावत नि0 वाजिदपुर थाना पटरंगा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 28/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 14.02.2021 को वादी श्री रामसुमिरन पुत्र नान्हू नि0 अमावा छिटन थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सर्वेश पुत्र राघवराम नि0 गोकुला थाना कुमारगंज अयोध्या आदि 06 नफर अभि0गण द्वारा एल0वी0आर0वाई0 कम्पनी के नाम पर फर्जी व कूट रचित प्रपत्र तैयार कर वादी से रूपये लेकर हड़प लेना वापस मांगने पर मारना पीटना तथा जेब में रखा 2200 रूपये छीन लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 46/21 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 323, 392 भादवि 156(3)द0प्र0सं0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 14.02.2021 को वादी श्री राम शंकर मौर्य पुत्र शीतला प्रसाद नि0 मुमताजनगर थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विद्या मिश्रा पत्नी लाल कौशलेन्द्र प्रताप नि0 लवकुशनगर रामघाट श्यामा सदन थाना को0अयोध्य अयोध्या आदि 03 नफर अभि0गण द्वारा धोखाधड़ी व जालसाजी कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर जमीन बैनामा करना तथा रूपये वापस मांगने पर गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 67/21 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 14.02.2021 को वादी श्री शशांक सिंह पुत्र श्याम सिंह नि0 लवकुशनगर रामघाट थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शुभम मिश्रा पता अज्ञात व 04-05 व्यक्ति नाम पता अज्ञात अभि0गण द्वारा एक राय होकर जान माल की धमकी देते हुए वादी को मारना पीटना तथा वाहन क्षतिग्रस्त कर देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 66/21 धारा 147, 323, 506, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 14.02.2021 को वादी श्री दीपक कुमार पुत्र हृदय राम नि0 मिर्जापुर निमौली कोटवा थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 32 एएफ 7288 मारुति का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की पुत्री को टक्कर मार देना जिससे उसकी रीड़ की हड्डी टूट जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 74/21 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।